तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर इस हुक्म
03/01/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने उसके द्वारा धारित खातेदारी भूमि ग्राम दुदनी (बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 46/9 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की सेग्रीगेशन के दौरान ऑनलाईन नक्शे में हुई त्रुटि को दुरूस्ती के जरिये शुद्ध किए जाने का निवेदन किय । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार बाली से जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का दुदनी ने रिकॉर्ड व मौकास्थिति की जांच के बाद तथ्यात्मक रिपोर्ट तय नजरी नक्शा के पेश की गई। प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित भूमि की नामांतरकरण संख्या 513 के पृष्ठ पर वर्णित नजरी नक्शा के अनुसार तहसील ऑनलाईन/सेग्रीगेशन कार्यवाही के दौरान मौका स्थिति के विपरित ऑनलाईन नक्शे में इन्द्राज होने से दुरूस्त किए जाने की सहमती प्रकट की। पत्रावली व उपलब्ध रेकॅर्ड यथा नामांतरकरण संख्या 513 के पृष्ठ भाग पर वर्णित नजरी नक्शा व ऑनलाईन नक्शा की प्रति में दर्ज दुदनी के खसरा नंबर 46/9 की स्थिति एवं पटवारी हल्का दुदनी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या सेग्रीगेशन के दौरान ऑनलाईन नक्शे में खसरा नंबर 46/9 की स्थिति मौका स्थिति व नामांतरकरण सं. 513 के पृष्ठ भाग पर वर्णित नजरी नक्शा में उल्लेखित स्थिति के विपरित दर्ज होना प्रमाणित है। जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का दुदनी ने स्वीकार किया है। लिहाला प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के तहत सेग्रीगेशन के दौरान ऑनलाईन नक्शे में हुई त्रुटि के शुद्धि के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाली व पटवार हल्का दुदनी के द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावें। आदेश प्रति तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का दुदनी को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी, बाली (जिला पाली) राज	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)